साधारण डाक द्वारा
तत्काल

फोन : 23385259
फैक्स : 23387589

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग LEGISLATIVE DEPARTMENT
विधि साहित्य प्रकाशन VIDHI SAHITYA PRAKASHAN

विधि साहित्य प्रकाशन

भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास रोड,
नई दिल्ली-110001

I. L. I. Building.
Bhagwan Dass Road.
New Delhi-110001.

No...1..(1.)../2020.-V.S.P (B)

Date..........................

Dear Sir,

We are in receipt of the particulars of yours business, which you have sent. I, the undersigned for and on behalf of the president of India (hereinafter called 'the Government') offers to enlist you as one of the Dealers of Journals and publications put on sale by the Vidhi Sahitya Prakashan in short "Prakashan" Legislative Department, Ministry of Law and Justice, Government of India on the terms and conditions specified below:

1. Journals and publications will be supplied to you against cash payment. You can open with the Government a running account by way of deposit Rs. 5,000.00. (Rupees five thousand only) to remain with the Government, in order to avoid any gap in the continuity of supply. The running account will not be opened for any amount less than **Rs. 5,000.00**. You will be required to pay for the actual net value of supplies within 45 days of the date of invoice.

2. You will be entitled to trade discount on the following scale:
   (i) On annual subscription received in advance booked by you for any of the Journals — 20%
   (ii) On the printed sale price of the publications or such other Price as may be prescribed by the Government. — 25%
   (iii) All 3 Law Journals,Law Publisations and Text books are available for online selling. You can also avail the same discount from websites: http://bharatkosh.gov.in/product/product For availing this facilities online,the agent need to open the login ID /Password with Ministry of Law and Justice,Legislative Department Vidhi Sahitya Prakashan.

3. Before appointing as an Agent of this 'Prakashan', you should have to produce the attested copy of License of your bookshop, two copies of the passport size photograph, copy of the ration card/Aadhar Card/ Electricity bill etc.

4. Supply of Journals/Publications etc. to annual subscribers booked can be made direct by Govt. on receipt of the net amount of the subscription in advance in this behalf.

5. No unsold copies of the said publications will be taken back.

6. This dealership shall be non-transferable and shall be on the basis of 'from principal to principal'. If, therefore, you further sell the said publications on credit or incur any other liability in doing so, you will do so entirely at your risk and responsibility.

7. The said publications shall be sold at the printed sale price only. However, a discount not exceeding 10% (out of the discount allowed to you under clause 2 above) may be given to educational institutions or bona fide public Libraries.

8. The said publications shall be dispatched by the Government by cheapest mode of transport at its discretion. The responsibility of the Government will cease on delivery of the publications to the carrier.

9. Any advertising material supplied to you regarding the publications, shall at all times belong to and be the property of the Government and in no case will it be made use of by you in any manner after the termination of this arrangement (dealership), and will be returned to the Government or to its order in good condition at any time on demand and in default the Government will be at Liberty to recover whatever materials remain unreturned or their value by deduction from your deposit or through court of law and the Government will be indemnified for all losses and damages that may be sustained by the Government's authorised dealers by reasons of such non-delivery.

10. This dealership shall ordinarily be terminable by one month's notice on either side but the Government reserves the right to cancel the dealership without notice or assigning any reason therefore.

11. If you are agreeable please signify your acceptance of this offer by appending your signature on the accompanying copy of this letter.

Along with your acceptance of this offer, kindly send the deposit as stipulated above.

Yours Faithfully,

For and on behalf of the President of India.

To

The President of India,
Through the **Assistant** Manager,
Vidhi Sahitya Prakashan, Legislative Department,
Ministry of Law & Justice, Indian Law Institute Building,
Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001.

Having carefully read and understood the terms and conditions contained in your above letter dated...I/We accept the dealership for the sale of Journals and publications put on sale by the Government of India, Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Vidhi Sahitya rakashan on the terms and conditions contained therein. I/We are hereby furnishing a sum of Rs............................(Rupees... by way of advance deposit.

Signature................................
(NAME AND ADDRESS OF THE DEALER)
(SEAL OF THE FIRM)

Place..............................
Date...............................

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)
VIDHI SAHITYA PRAKASHAN

Indian Law Institute Building,
Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001

Particulars of Business to be furnished for inclusion in Dealers' List.

1- Business Name (in full ____________________
2- Full Postal Address ____________________
District ____________ (state ____________ pin code ____________
Email ID, ____________ **Mobile No./Whatsaap No.-** ____________
3- Nearest Railway Station ____________________
4- Nature of business, whether proprietary,
Partnership or limited Co. ____________________
5- If the Business is partnership:? ____________________
(a) Whether it is registered or not ? ____________________
(b) Names of the partners:
(i) ____________________
(ii) ____________________
(iii) ____________________
6- How long have you been established in business
as a Bookseller: ____________________
7- Do you deal in Magazines and books both in the field
of Law ? ____________________
8- Are you allowed trade terms by any other publishers: If so, give at least two
Names and their address:
(i) ____________________
(ii) ____________________
9- Name and full address of your Banker ____________________

10- Please attach a reference from a principal/Headmaster of a college/School or a Registered legal practitioner to certify that you are known to him as an established and bonafide booksellers.

Dated ____________

Signature of dealer ____________
Designation ____________

CERTIFICATE

(TO BE SUBMITTED ON THE LETTER HEAD OF THE PERSON/AUTHORITY GIVING THE CERTIFICATE)

I certify that M/S.____
(Name and address of the firm)

____

are known to me as an established and bonafide law Book sellers in the area, for the

last__________________________Years.

I recommend them for the grant of agency for sale of publications for Government of India, Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Vidhi Sahitya Prakashan, New Delhi.

____
(Signature of the person giving the certificate.)
(Rubber stamp)

Place__________________
Date__________________

____

Note: This certificate should be signed by a registered legal practitioner or by a Principal/Headmaster of a College/School.

साधारण डाक द्वारा

तत्काल

फोन : 23385259

फैक्स : 23387589

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग LEGISLATIVE DEPARTMENT
विधि साहित्य प्रकाशन VIDHI SAHITYA PRAKASHAN

विधि साहित्य प्रकाशन

भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास रोड,
नई दिल्ली-110001

I. L. I. Building,
Bhagwan Dass Road,
New Delhi-110001.

सं0...1...(1)../2020-VSP(B)

तारीख.............................

सेवा में,

प्रिय महोदय,

आपने अपने कारबार की जो विशिष्टियां भेजी थीं, वे हमें प्राप्त हो गई हैं । मैं, अधोहस्ताक्षरी, भारत के राष्ट्रपति [जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "सरकार" गया गया है] के लिए उनकी ओर से भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन [संक्षेप में "प्रकाशन"] द्वारा विक्रयार्थ निकाली जा रही पत्रिकाओं और प्रकाशनों के एक व्यवहारी [डीलर] के रूप में आपका नाम नीचे विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों पर सूचीबद्व करने की प्रस्थापना करता हूं :-

1. पत्रिकाएं और प्रकाशन नकद संदाय पर आप को भेजे जाएंगे । पत्रिकाएं और प्रकाशन आपको निरन्तर प्राप्त होते रहें, इसके लिए आप 5,000- 00 रूपये [पांच हजार रूपये मात्र] की अग्रिम धनराशि जमा करके सरकार के पास एक चालू खाता खोल सकते हैं, आपकी यह धनराशि सरकार के पास जमा रहेगी । 5,000- 00 रूपये से कम की किसी भी रकम का चालू खाता नहीं खोला जाएगा । आपसे यह अपेक्षा होगी कि आप भेजी गई पत्रिकाओं और प्रकाशनों का वास्तविक शुद्व मूल्य बीजक की तारीख से 45 दिन के भीतर चुका दें ।

2. आप निम्नलिखित मापमान के अनुसार व्यापारिक छूट पाने के हकदार हैं :-

[i] आपके द्वारा बुक कराए जाने वाली पत्रिकाओं का वार्षिक चन्दा अग्रिम रूप से प्राप्त होने पर 20%

[ii] प्रकाशनों की मुद्रित विक्रय कीमत पर या ऐसी अन्य कीमत पर, जो सरकार द्वारा नियत की जाए 25%

सभी तीनों पत्रिकाएं, विधि प्रकाशनों, पाठ्य पुस्तके ऑनलाईन विक्रय पटल पर उपलब्ध हैं सभी एजेन्ट उक्त छूट प्राप्त कर सकते हैं। हमारी प्रकाशन की वेबसाईट:- **http://bharatkosh.gov.in/product/product**

इस छूट का लाभ उठाने के लिए ऑनलाईन **Login ID/Password** विधि और न्याय मंत्रालय से प्राप्त करनी होगी।

3. इस 'प्रकाशन' का अभिकर्ता [एजेन्ट] नियुक्त किए जाने से पूर्व, आपको अपनी दुकान का अनुज्ञप्ति [लाइसेंस] की, पास - पोर्ट साईज के अपने दो फोटोग्राफ की, राशन कार्ड/आधार कार्ड की कॉपी/बिजली बिल की कॉपी आदि की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी ।

4. आपके द्वारा बुक कराए जाने वाले वार्षिक ग्राहकों को पत्रिकाएं/प्रकाशन अग्रिम चंदा मिलने पर, सरकार द्वारा उन्हें सीधे भी भेजी जा सकते हैं ।

5. उक्त प्रकाशनों की कोई भी अविक्रीत प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी ।

6. यह डीलरशिप अनन्तरणीय होगी और "मालिक से मालिक को" के आधार पर होगी । अत: , यदि आप उक्त प्रकाशनों को और आगे उधार पर बेचेंगे या ऐसा करके कोई अन्य दायित्व उपगत करेंगे तो ऐसा आप पूर्ण रूप से अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर करेंगे ।

7. उक्त प्रकाशन केवल मुद्रित विक्रय कीमत पर ही बेचे जाएंगे । किंतु [जो छूट आपको उपर्युक्त खण्ड 2 के अधीन अनुज्ञात है उसमें से] 10 प्रतिशत से अनधिक छूट शिक्षण संस्थानों या वास्तविक सार्वजनिक पुस्तकालयों को दी जा सकेगी ।

8. उक्त प्रकाशन सरकार द्वारा, स्वविवेकानुसार, सबसे सस्ते प्रकार के परिवहन साधन से भेजे जाएंगे। सरकार की जिम्मेदारी वाहक को प्रकाशनो का परिदान करने पर समाप्त हो जाएगी ।

9. प्रकाशनों के संबंध में आपको दी गई विज्ञापन सामग्री हर समय सरकार की संपत्ति होगी और रहेगी तथा वर्तमान व्यवस्था [डीलरशिप] की समाप्ति पर आपके द्वारा किसी भी दशा में इस सामग्री का प्रयोग किसी भी रीति से नही किया जाएगा, और किसी भी समय सामग्री की मांग किए जाने पर उसे अच्छी दशा में सरकार को या उसके आदेशानुसार लौटाया जाएगा तथा उस सामग्री के न लौटाए जाने पर सरकार उस सभी सामग्री , जो लौटाई न गई हो, या उसका मूल्य आपकी जमा धनराशि में से कटौती करके या न्यायालय के माध्यम से वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगी और उन सभी हानियों तथा नुकसानियों के लिए सरकार की क्षतिपूर्ती की जाएगी, जो ऐसे अपरिदान के कारण सरकार को प्राधिकृत व्यवहारियों के कारण उठानी पड़ी हो।

10. यह डीलरशिप सामान्यतया दोनों पक्षों में से किसी एक के द्वारा एक मास की सूचना दिए जाने पर पर्यवसेय होगी, किन्तु सरकार उस संबंध में सूचना दिए बिना या कोई कारण बताए बिना डीलरशिप पर्यवसित करने का अधिकार आरक्षित रखती है और साथ ही डीलरशिप की मंजूरी की तारीख से या इससे आगे की अवधि में यदि आप द्वारा लगातार तीन वर्षों तक कारबार न किया गया हो, तब आवंटित डीलरशिप निलंबित कर दी जाएगी और यदि आप पुनः पुस्तकें क्रय करना चाहते हों तब रू0 500/- दण्ड स्वरूप शुल्क जमा करवाने होंगे जो भविष्य में वापस नही की जाएगी ।

11. यदि आप सहमत हैं, तो कृपया इस पत्र के साथ संलग्न प्रति पर अपने हस्ताक्षर करके इस प्रस्थापना के लिए अपनी स्वीकृति दें ।

इस प्रस्थापना पर अपनी स्वीकृति के साथ, जमा की जाने वाली धनराशि भी, जैसा ऊपर कहा गया है, भेजने की कृपा करें ।

भवदीय,

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से ।

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,
मार्फत सहायक प्रबंधक,
विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग)
विधि साहित्य प्रकाशन,
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग,
नई दिल्ली - 110001

आपके तारीख------------------ के उपर्युक्त पत्र में अन्तर्विष्ट निबन्धनों और शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ कर और समझ कर, मैं/हम भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा विक्रयार्थ निकाली जा रही पत्रिकाओं और प्रकाशनों की बिक्री के लिए डीलरशिप उसमें अन्तर्विष्ट निबंधनों और शर्तों पर स्वीकार करता/करती हूं/करते हैं । मैं/हम अग्रिम जमा के रूप में ------------------रूपए ---रूपए की धनराशि एतद् द्वारा भेज रहा/रही हूं/रहे/रही हैं ।

हस्ताक्षर
(व्यवहारी का नाम और पता)
(फर्म की मुद्रा)

स्थान-----------------------------
तारीख-----------------------------

भारत सरकार
विधि और न्याय और मंत्रालय
[विधायी विभाग]
विधि साहित्य प्रकाशन

भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास रोड, नई दिल्ली-110001

व्यवहारियों (डीलर) की सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तुत की जाने वाली कारबार की विशिष्टियाः

1. कारबार का (पूरा) नाम---
2. डाक का पूरा पता---
   जिला---------------------------राज्य------------------------पिन कोड-----------------
   इमेल आई-डीः-.............................. मोबाईल नम्बर/ **Whatsaap No.-----------------**
3. नजदीकी रेलवे स्टेशन---
4. कारबार की प्रकृति, क्या स्वत्वधारी/भागीदारी कारबार
   या लिमिटेड कम्पनी है ?---
5. यदि कारबार भागीदारी कारबार हैः
   (क) क्या वह रजिस्टर्ड है अथवा नहीं, ---
   (ख) भागीदारों का नामः
   [i] ---
   [ii] ---
   [iii] ---
6. पुस्तक विक्रेता के रूप में आप कब से कारबार कर रहे हैंः---
7. क्या आप विधि संबंधी पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं,
   दोनों का विक्रय करते हैंः---
8. क्या आपको किसी अन्य प्रकाशक से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हैं
   यदि हां, तो ऐसे दो प्रकाशकों के नाम और पते लिखें
   [i] ---
   [ii] ---
9. अपने बैंक का नाम व पूरा पता ---
10. किसी कालेज/स्कूल के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक का अथवा किसी रजिस्ट्रीकृत विधि व्यवसायी का प्रमाणपत्र संलग्न करें कि आप एक स्थापित तथा सद्भाविक पुस्तक विक्रेता हैं।

तारीख-----------------------

हस्ताक्षर---------------------------------
पदनाम---------------------------------

प्रमाणपत्र

(यह प्रमाणपत्र देने वाले व्यक्ति/प्राधिकारी के लेटर हैड पर दिया जाना चाहिए)

मैं यह प्रमाणित करता हूं कि मैं मैसर्स---

[फर्म का पूरा नाम तथा डाक पता]

को इस क्षेत्र में पिछले-----------------------------वर्षों से एक स्थापित और सदभाविक विधि पुस्तक विक्रेता के रूप में जानता हूं ।

मैं उनके नाम की भारत सरकार,विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग विधि साहत्य प्रकाशन, नई दिल्ली की पुस्तकों की एजेंसी के लिए सिफारिश करता हूं ।

[प्रमाणपत्र देने वाले व्यवक्ति के हस्ताक्षर]
[रबड़ की मोहर]

स्थान----------------------------
तारीख---------------------------

टिप्पणः यह प्रमाणपत्र किसी रजिसट्रीकृत विधि व्यवसायी अथवा किसी कालेज/स्कूल के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा दिया जाना चाहिए ।